पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 5004 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2024 रायपुर, दिनांक 27 /11/2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 27.11.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति सचिवालय के सभा–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. मीता झा – सदस्य
3. डॉ. निनाद बोधनकर – सदस्य
4. डॉ. राजीव चौधरी – सदस्य
5. डॉ. संजय जे. डहरवाल – सदस्य
6. डॉ. ए.के. प्रधान – सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे – सदस्य
8. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव – सदस्य
9. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.10.2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.10.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर	B.Sc.-III-Bio Group -(FC- Hindi, English), Geology, Chemistry Zoology,	30	2024–25
		B.Sc.-III-Maths Group-(FC- Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths,	50	
		B.Sc.-III-Maths Group-(FC- Hindi, English), Geology, Maths, Physics	30	
		B.Com.-III	50	
		B.Com.-III- Computer Application	50	
		B.C.A.-III-	50	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर, जिला–रायपुर	B.A.-II- F.C. (Hindi & English Language), Political Sc., Sociology, History,	90	2024–25
		B.Sc.-II-Computer Sc.	45	
		B.Sc.-II- (Masths Group) - FC (Hindi & English Language), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.Com.- II- Compulsory subject	90	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii.	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बलेभाटा, अभनपुर, जिला–रायपुर	B.Sc.-II (Bio.)	30	2024–25
		B.Sc.-II (Maths)	30	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv.	शासकीय जे. योजनानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर (स्वशासी) महा. बैरन बाजार, रायपुर	B.A.LLB-II year- Five Years Integrated Course	120	2025–26
		B.A.LLB-III year- Five Years Integrated Course	120	2026–27
		B.A.LLB-IV year- Five Years Integrated Course	120	2027–28
		B.A.LLB-V year- Five Years Integrated Course	120	2028–29
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ B.A.LLB- Five Years Integrated (संचालन अवधि सत्र 2024–25 से सत्र 2028–29) पाठ्यक्रम को अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

04. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के अंतर्गत संचालित Centre for Sports Skill development (Earn and Learn) के अंतर्गत फुटबॉल खेल को भी उक्त केन्द्र में प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :अनुशंसा की गई।

05. पी–एच.डी. हेतु संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 के क्रियान्वयन हेतु अध्यादेश के कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश हेतु विचार करना।

निर्णय :पी–एच.डी. हेतु संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई –

क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान	औचित्य
	5 (c) Admission to the Ph.D. programme shall be made through an Entrance Test to be conducted maximum two times in a year by the University. • The syllabus for the Entrance Test shall be prepared by concerned Board of Studies	5 (c) Admission to the Ph.D. programme shall be made through an Entrance Test to be conducted maximum two times in a year by the University. • The syllabus for the Entrance Test shall be prepared by concerned Board of Studies	SET धारक आवेदकों को पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा से छूट प्रावधानित किये जाने हेतु।

	following the guidelines of UGC. • Students who have secured 50 % marks in the entrance test are eligible to be called for the interview. • A relaxation of 5 % marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ST/OBC/differently-abled category, Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time. • University may decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available. • For the selection of candidates based on the entrance test conducted by the University, a weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance in the interview/viva- voce shall be given. Provided that following candidates shall be exempted from appearing at the entrance test and selected shall be based on interview. • Candidates who qualify in UGC-NET/UGC- CSIR NET/GATE/CEED/ GPAT and similar National level tests. • Teacher Fellowship holder and University/College teachers holding a regular position (regular appointment) and having completed two years of service as teacher in a department or affiliated college of the Pt. Ravishankar Shukla	following the guidelines of UGC. • Students who have secured 50 % marks in the entrance test are eligible to be called for the interview. • A relaxation of 5 % marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ST/OBC/differently-abled category, Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time. • University may decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available. • For the selection of candidates based on the entrance test conducted by the University, a weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance in the interview/viva- voce shall be given. Provided that following candidates shall be exempted from appearing at the entrance test and selected shall be based on interview. • Candidates who qualify in UGC-NET/UGC- CSIR NET/GATE/CEED/ GPAT/<u>SET</u> and similar National level tests. • Teacher Fellowship holder or University/College teachers holding a regular position (regular appointment) having completed two years of service as	

	University, Raipur. Scientists of any recognized national (for example, DST, CSIR-funded etc.) and international institutions (for example, WHO-funded etc.) having acquired two years of experience.	teacher in a department or affiliated college of the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur. Scientists of any recognized national (for example, DST, CSIR-funded etc.) and international institutions (for example, WHO-funded etc.) having acquired two years of experience.	

06. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू द्विवार्षिक प्रवेश (Biannual Admission) के संबंध में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 641/203/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 10.10.2024 के संबंध में विचार करना।

निर्णय :कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 641/203/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 10.10.2024 द्विवार्षिक प्रवेश (Biannual Admission) लागू किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना पत्र क्र. F. 1-2/2024 (CPP-II) (C.No. 143903) 19th June, 2024 के संबंध में विषय में रिक्त सीट, पाठ्यक्रम, नये अध्यादेश व विनियम, शिक्षकों की संख्या तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

07. Prof. Nitin Chattopadhyay, Professor, Department of Chemistry & Former Dean, Faculty of Science, Jadhavpur University, Kolkata को रसायन अध्ययनशाला में Visiting Professor के रूप में नियुक्त किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विनियम 214 के अनुक्रम में दिनांक 25.11.2024 को Screening /Expert Committee की बैठक में लिये गए निर्णय के क्रम में Prof. Nitin Chattopadhyay, Professor, Department of Chemistry & Former Dean, Faculty of Science, Jadhavpur University, Kolkata को 1 वर्ष के लिये रसायन अध्ययनशाला में Visiting Professor के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

08. Devi Ahilya Bai Financial Aid Policy for the UTD Students of PRSU, (Establishment and its Disbursement Rule) के ड्राफ्ट के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए योजना को सत्र 2025–26 से लागू करने की अनुशंसा के साथ विस्तृत पॉलिसी ड्राफ्ट को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा भी की गई।

09. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम क्रमांक 149 (Under the Ordinance 170) के कंडिका क्रमांक (3) Internal Evaluation को 30 अंकों के आधार पर किए जाने एवं विनियम में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: संशोधित विनियम क्रमांक 149 (Under the Ordinance 170) की अनुशंसा की गई।

10. एम.एस–सी. फोरेंसिक साइंस के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की अनुशंसा करना।

निर्णय :अनुशंसा की गई।

11. उपाधि संबंधी प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना –
   (i) अंकसूची में छात्र/छात्राओं के नाम संबंधी त्रुटियाँ।
   (ii) अंकसूचियों में छात्राओं के नाम के सम्मुख कु. (KU.) का उल्लेख होना अथवा न होना।
   (iii) माता–पिता, अभिभावकों का पूर्ण नाम अथवा लघु नाम (full Name & Short Name) त्रुटि।
   (iv) नामांकन संख्या अथवा नामांकन संबंधी अन्य त्रुटियाँ।
   (v) नामांकन संख्या संयोजन/आबंटन के संबंध में।
   (vi) नाम परिवर्तन (छात्र/छात्रा/अभिभावक) के संबंध में।

निर्णय: उपाधि संबंधी प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा की गई –

(i) **अंकसूची में छात्र/छात्राओं के नाम संबंधी त्रुटियाँ :**
अंकसूचियों में छात्र/छात्राओं के नाम संबंधी त्रुटियों में सुधार विगत परीक्षा में उनके द्वारा अंकित सूचना अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इस संदर्भ में किसी विवाद की स्थिति में विद्यापरिषद की अनुशंसा पर कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

(ii) **अंकसूचियों में छात्राओं के नाम के सम्मुख कु. (KU.) का उल्लेख होना अथवा न होना :**
छात्र/छात्रा का केवल नाम ही अंकसूची में अंकित किया जाएगा, नाम के सम्मुख कु./श्रीमती/श्री/डॉ. नहीं लिखा जाएगा। यदि किसी स्तर पर छात्र/छात्रा अपने नाम के सम्मुख श्री/कु./डॉक्टर आदि जुड़वाना चाहे तब इससे संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हुए शपथ–पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय से निवेदन कर सकेगा, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यह छात्र/छात्राओं का अधिकार नहीं होगा। यदि छात्रा विवाहित है और उसने अपने आवेदन में नाम से पहले श्रीमती शब्द और उपनाम भी लिखा है तो विवाह का पंजीयन प्रमाण–पत्र अथवा शपथ–पत्र लेकर उसके नाम से पहले श्रीमती तथा उपनाम लिखा जा सकेगा।

(iii) **माता–पिता, अभिभावकों का पूर्ण नाम अथवा लघु नाम (full Name & Short Name) त्रुटि :**
विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित आवेदन पत्रों में माता–पिता के नाम के दो नये कालम पूर्ण नाम एवं संक्षिप्त नाम, बढ़ाया जाएगा ताकि हाई स्कूल/मैट्रीकुलेशन (बारहवीं) की अंकसूची/प्रमाण–पत्र से इसका मिलान कर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में किसी विवाद की स्थिति में विद्यापरिषद की अनुशंसा पर कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

(iv) **नामांकन संख्या अथवा नामांकन संबंधी अन्य त्रुटियाँ :**
नामांकन संख्या एवं नामांकन सम्बन्धी आवेदन–पत्र में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अंकित सूचना के सम्बन्ध में नामांकन विभाग द्वारा आवेदित संशोधन के उपरान्त ही उपाधि विभाग द्वारा उपाधि निर्गत की जाएगी।

(v) **नामांकन संख्या संयोजन/आबंटन के संबंध में :**
प्रवेश के समय छात्र/छात्रा को जो नामांकन संख्या आवंटित की जाएगी वह विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहने तक तथा अध्ययन अवधि के दौरान पाठ्यक्रम परिवर्तित करने पर भी यथावत रहेगी।

(vi) **नाम परिवर्तन (छात्र/छात्रा/अभिभावक) के संबंध में :**
उक्त के संबंध में संबंधित राज्य के राजपत्र की प्रति मान्य होगी।

12. खोमेश्वर साहू, योगेश्वर कुमार साहू एस.आर.एफ. शोध छात्र दर्शनशास्त्र तथा अखिलेश्वर कुमार यादव, शोध छात्र, आरती गजेन्द्र, शोध छात्रा के आवेदनों पर ग्रीवेंस कमेटी के अभिमत पर विचार करना।

निर्णयः **स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला में अध्ययनरत शोध छात्रों खोमेश्वर साहू, योगेश्वर कुमार साहू, अखिलेश्वर कुमार यादव, आरती गजेन्द्र के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर ग्रीवेंस कमेटी की अनुशंसा अनुसार छात्रहित में संबंधित शोध केन्द्र सहित इस शोध केन्द्र के समस्त शोध छात्रों को अंतरिम रूप से अथवा इस संबंध में अग्रिम आदेश तक क्षेत्रीय अध्ययनशाला शोध केन्द्र से संबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गई।**

13. सत्र 2024–25 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. नवीन महाविद्यालय, नवागांव, सेक्टर–28, नवा रायपुर, जिला–रायपुर
क्रमांक	**अशासकीय महाविद्यालय**
1	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी सिहावा, धमतरी

निर्णयः अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. समाजकार्य (Social Work) विषय में पी–एच.डी. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः समाजकार्य (Social Work) विषय में पी–एच.डी. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर विचार करते हुए छात्रहित में तथा शोध परिधि के विस्तारीकरण की दृष्टि से शोधकार्य हेतु समाजकार्य (Social Work) को समाजशास्त्र शोध केन्द्र तथा समान प्रकृति के संदर्भ के कारण लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान शोध केन्द्र के अंतर्गत अंतरिम रूप से संबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गई। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक मान्य होगी जब तक संबंधित विषयों के पृथक से अध्ययन मण्डल, शोध केन्द्र तथा शोध निर्देशक की स्थापना/नियुक्ति नहीं हो जाती।

चूंकि समाजकार्य विषय को समाजशास्त्र तथा लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का सहबद्ध विषय माना जाता है। अतः इन विषयों में शोध निर्देशक नियुक्ति तथा अध्ययन मण्डल/शोध केन्द्र निर्धारण तक अथवा अग्रेतर आदेश तक समाजशास्त्र के मान्य शोध निर्देशक समाजकार्य में तथा राजनीति विज्ञान के मान्य शोध निर्देशक लोक प्रशासन में शोध कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

27/11/24 — **कुलपति**, अध्यक्ष

27/11/24 — **कुलसचिव**, सचिव

पृ. क्रमांक : 5015 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2024 — रायपुर, दिनांक 27 /11/2024

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा/सामान्य प्रशासन/स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

उप–कुलसचिव (अका.)